

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २३१/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २०६/२०१९)
श्रीमती विमला यादव प्रति अनुराग आदि
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। ३ बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। ३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया श्रीमती विमला यादव द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक ०१.११.२०२० को राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में ₹ ६,००००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त धनराशि न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी में जमा कर दी गयी है, जिसका यू.टी.आर. नं. N 323201312957826 है। अतः प्रार्थिया ने उक्त जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि मय ब्याज उसके पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थिया ने ४सी२ स्वयं का शपथपत्र, आधार कार्ड व बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की गयी हैं।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं. २०६/२०१९ श्रीमती विमला यादव बनाम अनुराग आदि की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। उक्त एम.ए.सी.पी.सं. २०६/२०१९ में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक ०१.११.२०२० को सुलहनामा के आधार पर लोक अदालत में ₹ ६,००००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिस धनराशि को याचिया को जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उसके बैंक खातें में नकद प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक पंजिका के क्रमांक बीमा कम्पनी द्वारा यू.टी.आर.नं. N 323201312957826 के जरिये ₹ ६,००,००० सिन्डीकेट बैंक, गोबिन्द चौराहा झाँसी में जमा होने की प्रविष्टि है। प्रार्थिया श्रीमती विमला यादव द्वारा अपने शपथपत्र में यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थिया द्वारा अपने बैंक खाते की छाया प्रति दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थिया प्रकरण में जमा प्रतिकर की धनराशि अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं.२०६/ २०१९(प्रकीर्ण वाद सं.२३१/२०२० श्रीमती विमला यादव बनाम अनुराग आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant / Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Vimla Yadav	600000	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	9235201 0011072	Syndicate Bank, Govind Chauraha Jhansi	SYNB00 09235
Total	600000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।